2428
17 SEP 2021

पवन कुमार पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
कार्य विभाजन आदेश–2021

कमांक / 93 / का0वि0 / 21 छिन्दवाड़ा, दिनांक 16.09.2021

दं0प्र0सं0 1973 की धारा 15 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पवन कुमार पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से कार्य विभाजन आदेश–2021 कमांक / 71 / का0वि0 / 21 छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 / 07 / 2021 में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार संशोधन करता हूं–

यह आदेश दिनांक **21 / 09 / 2021** से प्रभावशील होगा।

कं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
(1)	(2)	(3)	(4)
		तहसील न्यायालय – परासिया	
1.	श्री राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	परासिया	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त परासिया, चांदामेटा तथा आरक्षी केन्द्र परासिया से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा / शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी

			अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स से संबंधित प्रकरण। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 9. उक्त आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 10. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ एवं उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 11. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी चांदामेटा, उमरेठ के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 12. उक्त आरक्षी क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
2.	श्री अल्तमस रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	1– चांदामेटा 2– उमरेठ	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य

श्रेणी, परासिया	मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. उक्त आरक्षी क्षेत्र से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

3.	श्री प्रीतम शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	रावनवाड़ा / शिवपुरी	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र रावनवाड़ा / शिवपुरी से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा / शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा / शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दं. प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा / शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा. दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण। 6. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा / शिवपुरी चांदामेटा, उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र।

			(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) 9. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 11. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 12. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 13. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
		तहसील न्यायालय – चौरई	
4.	श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	चौरई, चांद	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त चौरई एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट

			एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 5. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 6. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 9. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 10. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 11. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र का विचारण एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 12. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 13. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी

		स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
5.	श्री रूपेन्द्र सिंह मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	1. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 2. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

(पवन कुमार पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट –अ

धारा–164 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों एवं अभियुक्तगण के कथन/संस्वीकृतियां, निम्नानुसार उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से विवेचना अधिकारी या आरक्षी केन्द्र के भारसाधक अधिकारी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विधि अनुरूप उनके समक्ष उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लेख की जावेगी।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :–

क	आरक्षी केंद्र का नाम	न्या0 मजि0 का नाम जो कथन लेख करेंगे।	न्या0 मजि0 का नाम जो कॉलम 2 में वर्णित न्या0मजि0 के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।	न्या0 मजि0 का नाम जो कॉलम 3 में वर्णित न्या0मजि0 के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे
1.	थाना परासिया,	श्री अल्तमस रहमान, न्या.मजि.प्र.श्रे.	श्री प्रीतम शाह, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री राहुल डोंगरे, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव

	परासिया		
2. थाना चांदामेटा, उमरेठ	श्री प्रीतम शाह, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री राजेश नामदेव, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री देवरथ सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव
3. थाना रावनवाडा / शिवपुरी	श्री राजेश नामदेव, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री अल्तमस रहमान, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री राहुल डोंगरे, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव
14 थाना चौरई, चांद	श्री रूपेन्द्र सिंह मरावी,	सुश्री पलक राय,	कु. संध्या मरावी,

नोटः–

1– आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा / शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **न्या. मजि.प्र.श्रेणी श्री प्रीतम शाह** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्री प्रीतम शाह** के अलावा कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

2– आरक्षी केन्द्र चांद, चौरई के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **न्या.मजि.प्र.श्रेणी श्रीमती पुष्पा तिलगाम** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं0प्र0सं0 के कथन **श्रीमती पुष्पा तिलगाम** के अलावा कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

अनुमोदनार्थ ।

(श्री बी.पी. शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा
17/9/21

16.09.21
(पवन कुमार पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा

पृष्ठांकन क0 /93/ का0वि0 / 2021 छिन्दवाड़ा दिनांक 17.09.21

प्रति,

1. निज सहायक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा।
2. माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय चौरई, जिला छिंदवाड़ा।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया, जुन्नारदेव एवं चौरई, अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग– कार्यालय जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा।
5. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाड़ा / शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ, चौरई एवं चांद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सहा. लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा, परासिया एवं चौरई की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा, परासिया, चौरई की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी / सिस्टर ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं विभागो को ई–मेल द्वारा सूचित किये जाने बाबत् प्रेषित।

(पवन कुमार पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा